

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 809/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय  
तल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रमेश बैरवा पुत्र श्री रामजीवन बैरवा,  
पता :- रामदेव मंदिर निमेडा, जयपुर।  
एवं प्लॉट नम्बर 55, स्कीम आदित्य वाटिका-5, वाटिका, नीमेडा रोड, वाटिका, सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती चन्ता देवी पत्नी श्री रमेश बैरवा,  
पता :- रामदेव मंदिर निमेडा, जयपुर।
3. श्री बजरंग लाल कुमावत पुत्र श्री फुलचन्द,  
पता :- 47, छापलों की ढाणी, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :-

1. श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 15.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रमेश बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 55, स्कीम आदित्य वाटिका-5, वाटिका, नीमेडा रोड, वाटिका, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 51.66 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 05.02.2019 को राशि 3,60,000/- रुपये एवं दिनांक 05.03.2020 को राशि 1,09,000/- रुपये कुल राशि 4,69,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राणी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना गई दिवसी 17 जून 2022 से शर्तों की अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुत्र में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
4. पत्रावली के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्राणी बैंक ने अप्राणीयता के कुल राशि 4,69,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राणीयता के उपयोग के अंतर्गत वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त की गयी है। अप्राणीयता का ऋण खाता एन पी ए धारित होने से नियमावली के तहत वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मस ह्याज कुल राशि 6,13,956/- रुपये जमा करने हेतु अप्राणीयता के दिनांक 07.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधिनियम को लागू किया गया। अप्राणीयता द्वारा उक्त गौटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राणीयता द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राणी वित्तीय संस्था को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रावधान पत्र के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राणी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राणी श्री रमेश बैरवा के स्वागित्त की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 55, रकीम आदित्य वाटिका-5, वाटिका, नीमोडा रोड, वाटिका, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 51.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपसुवत जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर